

बिहार सरकार  
उद्योग निदेशालय

संघिका सं०-०३/उ०नि०/विविध(TRTC)-०५-४६/२०१६

आदेश

वित्तीय वर्ष 2016-17 में कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत टूल रूम एण्ड ट्रेनिंग सेन्टर (TRTC) पटना को बेरोजगार युवको/युवतियों के प्रशिक्षण देने हेतु कुल भुगतान की गई राशि ₹4,42,64,640.00 (चार करोड़ बयालीस लाख चौसठ हजार छः सौ चालीस रूपये) मात्र मे से (TRTC) पटना द्वारा संलग्न परिशिष्ट के अनुसार व्यय की गयी राशि ₹4,03,44,640.00 (चार करोड़ तीन लाख चौवालीस हजार छः सौ चालीस रूपये) मात्र के समायोजन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त राशि का समायोजन उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्यादेश पत्रांक 3170 दिनांक 01.09.2016 के कडिका-09 के आलोक में की जायेगी।

3. वित्तीय वर्ष 2016-17 में उक्त राज्यादेश ज्ञापांक 3170 दिनांक 01.09.2016 के आलोक में (TRTC) पटना से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार कार्यालय, पटना को भेजा जायेगा।

ह०/-

उद्योग निदेशक,  
बिहार,पटना।

ज्ञापांक...../

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- महालेखाकार बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक  
बिहार,पटना।

ज्ञापांक...../

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

उद्योग निदेशक  
बिहार,पटना।

ज्ञापांक...../

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- सहायक उद्योग निदेशक (लेखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को विपत्र की मूल प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त विपत्र का डी०सी०विपत्र महालेखाकार बिहार पटना कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित की जाय।

अनु०-०१(मूल प्रति)

ह०/-

उद्योग निदेशक

बिहार,पटना।

ज्ञापांक...../

पटना,दिनांक.....

प्रतिलिपि :- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, वित्त विभाग/आय-व्यय पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-०१(स०), (बजट), उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक, (योजना) उद्योग विभाग /टी०आर०टी०सी० पटना/आई० टी० प्रबंधक, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

उद्योग निदेशक  
बिहार,पटना।